न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 106/2015

अपीलांट

1. मृत हीरसिंह पुत्र भैरूसिंह जी के वैध कायम मुकामात–
   1/1 मृत श्रीमति सायरकंवर पत्नी हीरसिंहजी
   1/2 मृत परबतसिंह पुत्र हीरसिंहजी के वैध कायम मुकामात–
   1/2/1 मृत भगवतसिंह पुत्र परबतसिंह के वैध कायम मुकामात–
   1/2/1/1 श्रीमति चंदनकंवर पत्नी भगवतसिंहजी
   1/2/1/2 तेजसिंह पुत्र भगवतसिंहजी
   1/2/2 महेन्द्रसिंह पुत्र परबतसिंहजी
   1/2/3 माधुसिंह पुत्र परबतसिंहजी
   1/2/4 श्रीमति पारसकंवर पत्नी परबतसिंहजी
   1/3 दलपतसिंह पुत्र हीरसिंह जी
   1/4 नारायण सिंह पुत्र हीरसिंहजी
2. मृत जबरसिंह पुत्र भैरूसिंहजी के वैध कायम मुकामात–
   2/1 पदमसिंह पुत्र जबरसिंहजी
   2/2 मृत इन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंहजी के कायम मुकामात
   2/2/1 श्रीमति गैन्दकंवर पत्नी इन्द्रसिंह जी
   2/3 तखतसिंह पुत्र जबरसिंह जी
3. मृत विजयसिंह पुत्र भैरूसिंहजी के वैध कायम मुकाम
   3/1 मंगलसिंह पुत्र विजयसिंहजी
   3/2 मृत दिलीपसिंह पुत्र विजयसिंह जी के कायम मुकामात–
   3/2/1 श्रीमति संतोषकंवर पत्नी दिलीपसिंहजी
   3/2/2 राकेशकुंवर पुत्री दिलीपसिंहजी
   3/3 श्रीमति ताराकंवर पत्नी विजयसिंहजी
4. मृत श्रीमति उच्छबकंवर पुत्री भेरूसिंहजी के वैध कायम मुकामात–
   4/1 मंगलसिंह पुत्र बुधसिंहजी
   4/2 श्यामसिंह पुत्र बुधसिंहजी
5. श्रीमति पवनकंवर पुत्री भैरूसिंहजी जातिगण राजपूत निवासीगण गिरवर तहसील व जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उपस्थित :–

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.09.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजसव वाद संख्या 37/99 बउनवान हीरसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम गिरवर के खसरा नंबर 1956/1 रकबा 66 बीघा 11 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने बाबत निवेद न किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की पुश्तैनी, मालिकाना, कब्जा काश्त आराजी है। मूल खसरा नंबर 1956 का रकबा 187 बीघा था। अपीलांटगण के पिता भैयसिंहजी का स्वर्गवास सन 1965 में हो गया। उसके पश्चात फौतगी I म्यूटेशन संख्या 56 दिनांक 22.07.66 द्वारा अपीलांट संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। किन्तु अपीलांट संख्या 04 व 05 का नाम जायंदा पुत्रियां होते हुए भी फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नहीं किया गया। जिस पर अपीलांट संख्या 04 व 05 ने अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अपील संख्या 9/87 चुनौती दी । जिसे दिनांक 04.07.87 को स्वीकार कर म्यूटेशन संख्या 56 निरस्त कर प्रकरण पुन भूमिधारी तहसीलदार महोदय को रिमांड किया गया, एवं बाद सुनवाई विधिवत समस्त वारिसान का नाम दर्ज करने बाबत आदेश पारित किया। जिसकी पालना में आदिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई एवं न ही कोई आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट एवं पटवारी ने मिलकर म्यूटेशन संख्या 933 दिनांक 20.09.76 को खसरा नंबर 1956 में से 66 बीघा 19 बिस्वा भूमि बाबत बट्टा नंबर 1956/1 दर्ज कर राजकीय सिवाय चक भूमि दर्ज कर दी। अपीलांटगण ने उक्त आराजी के संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत था, जो दिनांक 17.04.07 से लगातार प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु पत्रावली लंबित है। इसी दौरान राज्य सरकार की मंशा अनुसार कैम्प कोर्ट में यह हवाला देते हुए कि वादी संख्या 1/2 का दिनांक 17.02.2015 और वादी संख्या 02 का करीब 7 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है, जिस बाबत कोई आवेदन पेश नहीं होने से वाद को जरिये एबेट खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। अपीलांअगण ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अनपढ, कृषक वर्ग के व्यक्ति है, जिन्हे कानून की कोई जानकारी नहीं है, न ही प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में आने की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आवश्कयता रहती है। वाद पिछले 8 वर्षो से साक्ष्य प्रतिवादी में ही नियत था, ऐसी स्थिति में पक्षकार की मृत्यु की जानकारी भी अधिवक्ता महोदय को नहीं दी जा सकी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु समय दिये बिना अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। जबकि प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णीत नहीं कर मेरिट पर ही निर्णीत किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को पर्याप्त अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री के जरिये वाद खारिज कर दिया, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे। एवं अपील में वर्णित कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने एवं गुणवागुण पर निर्णय पारित करते हुए वाद स्वीकार किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम गिरवर के खसरा नंबर 1956/1 रकबा 66 बीघा 11 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने बाबत निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी संख्या 02 का देहान्त लगभग 7 वर्ष पूर्व हो चुका था, किन्तु अपीलांटगण या उनके अधिवक्ता की ओर से वादी संख्या 02 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री के जरिये अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम गिरवर के खसरा नंबर 1956/1 रकबा 66 बीघा 11 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने बाबत निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी संख्या 02 के फौत होने के लगभग 7 वर्ष पश्चात कायम मुकाम के संबध मे अपीलांटगण या उनके अधिवक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नही किये जाने के कारण वाद जरिये एबेट खारिज किया है। इस सम्बन्ध में परिसीमित समय की संगणना परिसीमा अधिनियम के खण्ड द्वितीय के भाग 1 के नियम 120 के तहत किया जाना आज्ञापक है, जिसमें यह प्रावधित किया गया है कि किसी मृत वादी या अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन पक्षकार बनवाने के लिये परिसीमित समय 90 दिवस नियत किया है, जिसकी संगणना यथास्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की दिनांक से की जानी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2005 (2) पेज 929 में यह प्रतिपादित किया कि "सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – आदेश 22 नियम 3 वादी के विधिक प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन – अपीलाण्ट के पिता ने वाद पेश किया, किन्तु अपील के विचाराधीन होने के तथ्य से अपीलाण्ट अनभिज्ञ था – एडवोकेट के पत्र से अपीलाण्ट की जानकारी में तथ्य आया – कालबाधित होने से आवेदन खारिज किया गया तथा उपशमन अपास्त करने व विलम्ब माफ करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अनुतोष नहीं चाहा–तकनीकी आपत्तियां रास्ते में नहीं आनी चाहिये – आदेश अपास्त किया तथा विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया। इसी प्रकार एस0सी0आर0 2010 (8) पेज 597 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "Code of Civil Procedure, 1908 – Order 22, rules 3 and 9; s. 151 read with s.5 of Limitation Act, 1963 – Death of appellant during pendency of appeal before Supreme Court – Application filed after long delay of 778 days for bringing the legal representatives of deceased appellant on record accompanied by application for condonation of delay – Held: Such applications cannot be allowed as a matter of right and even in a routine manner – They should be rejected unless sufficient cause is shown for condensation of delay – On facts, except for a vague averment that the legal representatives were not aware of the pendency of the appeal, no other justifiable reason was stated by the applicants – The applications also did not contain correct and true facts, thus, want of bona fides is imputable to the applicants – No reason nor sufficient cause was shown as to why immediate steps were not taken by the applicants, even after they admittedly came to know of the pendency of the appeal – The conduct of the applicants was abnormal – They acted irresponsibly and even with negligence, and miserably failed in showing any 'sufficient cause' for condensation of the long delay of 778 days – Applications accordingly dismissed – Resultantly, the appeal, having already abated, also dismissed. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रामनाथ साआ एल्यास रामनाथ साओ एण्ड अदर्स बनाम गोवर्धन साओ एण्ड अदर्स (2002)3 एस.सी.सी. पेज 195 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "The expression "sufficient cause" within the meaning of Section 5 of the Act or Order 22 Rule 9 of the Code or any other similar provision should receive a liberal construction so as to advance substantial justice when no negligence or inaction or want of bona fide is imputable to a party. In a particular case whether explanation furnished would constitute "sufficient cause" or not will be dependent upon facts of each case. There cannot be a straitjacket formula for accepting or rejecting explanation furnished for the delay caused in taking steps. But one thing is clear that the courts should not proceed with the tendency of finding fault with the cause shown and reject the petition by a slipshod order in over jubilation of disposal drive. Acceptance

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

of explanation furnished should be the rule and refusal an exception more so when no negligence or inaction or want of bona fide can be imputed to the defaulting party. On the other hand, while considering the matter the courts should not lose sight of the fact that by not taking steps within the time prescribed a valuable right has accrued to the other party which should not be lightly defeated by condoning delay in a routine like manner. However, by taking a pedantic and hyper technical view of the matter the explanation furnished should not be rejected when stakes are high and/or arguable points of facts and law are involved in the case, causing enormous loss and irreparable injury to the party against whom the lis terminates either by default or inaction and defeating valuable right of such a party to have the decision on merit. While considering the matter, courts have to strike a balance between resultant effect of the order it is going to pass upon the parties either way. "इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0 टी0 2014 (2) पेज 885 में यह अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय की गलती के लिये पक्षकार पीड़ित नहीं हो सकता–विचारण न्यायालय ने बहुत ही अधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया–निर्णीत, आवेदन स्वीकार किया और विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावे।" विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय हित में पक्षकारों के अधिकार गुणावगुण के आधार पर तय किये जाएं। तकनीकी आधार पर किसी पक्षकार को अपने हक से वंचित नहीं कराया जा सकता। कानूनन विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार की मृत्यु होने पर प्रकरण में शामिल करने के लिए 90 दिन की अवधि प्राप्त है। इस अवधि में पक्षकार नहीं बनाया जाता है, तो वाद का उपशमन स्वतः हो जाता है। लेकिन उक्त प्रावधान बाध्यकारी प्रावधान नहीं है, बल्कि निर्देशात्मक प्रावधान है, जिन्हे न्यायालय संतुष्ट होने पर प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए छूट दे सकता है तथा विलम्ब की अवधि को क्षमा कर सकता है। इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि मात्र तकनीकी आपत्ति के आधार पर अपील को उपशमन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि न्यायहित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पक्षकारों को रिकार्ड पर लेने की अनुमति दी जानी चाहिये, जिससे पक्षकारों को पूर्ण न्याय मिल सके। उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र तकनीकी आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री के जरिये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजसव वाद संख्या 37/99 बउनवान हीरसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का विधिवत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.09.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली